





राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ

Email: ad.han.sipf@rajasthan.gov.in

01552 260973

क्रमांक:-हनु०/बीमा/संस्था/2021-22/ 888

दिनांक : 8 02 7022

सीमित निविदा सूचना

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के उपयोग हेतु प्रिन्टर/कम्प्यूटर-डेस्कटोप/स्कैनर क्रय करने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रिजस्ट्रड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी से सील बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें आमित्रिंत कि जाती है:—

क्र0संख्या	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क(अवापसीय)
01	उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ में प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर (स्पेशिफिकेशन) के अनुसार क्रय करने बाबत्।	157500 / —	3200 / -	200 ∕ −₹00

- 1. सम्बन्धित फार्म / कम्पनी / संस्था / एजेन्सी को निर्धारित निविदा प्रपन्न दिनांक 16.02.2022 दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपन्न एवं शर्ते उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के कार्यालय में दिनांक 16.02.2022 दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2. निविदा से संबंधित नियम, शर्तें निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय के संस्थापन अनुभाग में कैशियर को राशि 200 / रूपये जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेब साईट अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 3. प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 16.02.2022 को दोपहर बाद 03:00 बजे उपापन समिति द्वारा श्रीमान उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के चैम्बर में उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ को होगा।

उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग हनुमानगढ







राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ

Email: ad.han.sipf@rajasthan.gov.in

01552 260973

क्रमांक:-हनु०/बीमा/संस्था/2021-22/ 888

दिनांक : 8 02 7022

सीमित निविदा सूचना

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के उपयोग हेतु प्रिन्टर/कम्प्यूटर-डेस्कटोप/स्कैनर क्रय करने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रिजस्ट्रड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी से सील बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें आमित्रिंत कि जाती है:—

क्र0संख्या	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क(अवापसीय)
01	उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ में प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर (स्पेशिफिकेशन) के अनुसार क्रय करने बाबत्।	157500 / —	3200 / -	200 ∕ −₹00

- 1. सम्बन्धित फार्म / कम्पनी / संस्था / एजेन्सी को निर्धारित निविदा प्रपन्न दिनांक 16.02.2022 दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपन्न एवं शर्ते उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के कार्यालय में दिनांक 16.02.2022 दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2. निविदा से संबंधित नियम, शर्तें निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय के संस्थापन अनुभाग में कैशियर को राशि 200 / रूपये जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेब साईट अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 3. प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 16.02.2022 को दोपहर बाद 03:00 बजे उपापन समिति द्वारा श्रीमान उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ के चैम्बर में उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ को होगा।

उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग हनुमानगढ

निविदा प्रपत्र

उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर क्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र निविदा प्रपत्र का मृत्य 200 / — (रूपये दो सौ मात्र) बिड प्रतिभूति 3200 / — नोट:—

(1) इस निविदा प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।

1 तकनीकी निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट 'ई'

2 वित्तीय निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट 'एफ'

3 निविदा की शर्तें - परिशिष्ट 'जी'

4 अन्य परिशिष्ट ए से डी ।

(2) निविदाएं दो पृथक-पृथक लिफाफों में अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।

1 फर्म द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम <u>1958 / इण्डियन</u> पार्टनरिशप एक्ट 1932 के <u>अर्न्तगत / इण्डियन</u> कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रिस्टेशन प्रमाण पत्र।

2 प्रतिभूति रूपये 3200/- का बैंकर्स चैक/डी.डी. प्रस्तुत करना है।

3 बिड निविदा शुल्क 200/ – का बैंकर्स चैक/डी.डी. / रसीद संलग्न करनी होगी।

4 फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।

5 जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

- 6 किसी राजकीय संस्था / विभाग से ब्लेक लिस्टेंड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।
- (3) जिन फर्मों / ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।
- (4) ''तकनीकी निविदा'' और ''वित्तीय निविदा'' के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर ''निविदा प्रिन्टर / डेस्कटॉप क्रय / स्कैनर'' अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाऐं यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती है तो कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ उत्तरदायी नहीं होगा।
- (5) दिनांक 16 /02/2022 को दोपहर बाद 01:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16/02/2022 को दोपहर बाद 03:00 बजे निविदाओं के लिफाफो को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। प्रिन्टर/कम्प्यूटर—डेस्कटोप/स्कैनर क्रय की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में

Orth.

कैशियर उप निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ कमरा संस्थापन में 200 / — रूपये नकद भुगतान कर दिनांक 16/02/2022 दोपहर 12:00 बजे तक क्रय किये जा सकते है।

(6) तकनीकी परीक्षण के दौरान प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर का डेमो—प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी निविदाताओं को बुलाया जा सकता है और बुलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिये किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण उपकरण आदि व्यवस्था कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग नुमानगढ़ द्वारा नहीं कराई जावेगी, न ही किसी प्रकार के खर्चे का पुनर्भरण किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण निविदादाता स्वयं के खर्चे पर करेगा।

उप/सहा.निदेशक राज्य बीमा एव प्रा.नि. विभाग हनुमानगढ़ संगम

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

में / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैने / हमने जिन राजकीय विभाग / अर्द्धशासकीय विभाग / संस्था में प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर क्रय की निविदा दी है।

यदि निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत का लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास) (कार्यालय)

राजस्थान सरकार कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़

	निविदा प्रपत्र (तकनीकी)
	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ कार्यालय के
प्रिन्टर /	कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर क्रय हेतु निविदा प्रपत्र
1 f	नेविदादाता का नाम व पूर्ण पता :
2	निविदा सूचना क्रमांक
3.	निविदा शुल्क रूप्यें 200 / —:
	जमा कराने का विवरण
	निविदा प्रस्तुत करने की : 16/.02.2022 दोपहर 01:00 बजे तक
4.	अंतिम तिथि एवं समय
	आतम ।ताथ एवं समय
_	बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि का विवरण :
5.	(**
6.	यान्यायान ततान एवं वाणिजियक संस्थान अधिनियम १९५८ / इण्डियन पाटनराशप
0.	एक्ट 1932 के अर्न्तगत / इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का
रस्टिश	गन नम्बर / :
7.	जीएसटी पंजीयन कमांक
	(नियमानसार)
8.	फर्म का पैन कार्ड नम्बर
	- X - : X - : X - : X - : X - : X - : X - : X - : X - : X - : X - : X - :
मुझे इ	इस निविदा की संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व पूरा (मयसील)

(Sept)

राजस्थान सरकार

चप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ के कार्यालय में स्थित प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर क्रय की दरें देने का (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रिन्टर / कम्प्यूटर – डेस्कटोप / स्कैनर क्रय की दरें भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में ''वित्तीय निविदा'' अंकित करें । कार्य की दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करें।

क0 स0	प्रिन्टर / कम्प	यूटर-डे	उस्कटोप / स्कैनर का वि	विरण / स्पेशिफिकेशन	कम्प्यूटर / प्रिन्टर की मात्रा	प्रति कम्प्यूटर / प्रिंटर / स्कैनर की राशि रु० में (समस्त कर / जीएसटी सहित) अंको / शब्दों में
1.	Inkjet Pr	inter(M	IFP)-			
	Item		Minimum Technical Specification			
	Type of Ma	chine	Ink Tank, Monochro			
	Printer Spe		25 ppm			
100	Functions	-	Print			407 10 100 100
	Dute		10000 pages		173327	- TO PERSONAL PROPERTY.
	Cycle(Mont	hlv)				
-73-7	Duplex Printing		Auto			- A 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Port		On USB, Ethernet			
	Tray		Input Tray: Min. 10	0 Sheets		
			Output Tray: Min 10	00 Sheets	01 (प्रिन्टर)	
11113	Certification		BIS, ISO for OEM			
	Memory		64 MB or heigher			
	Processor		500MHz or heigher			
	Operating		Windows and Linux		1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	System		1	sive on site OFM		
	Warranty		3 years comprehens	of Installation		
			warranty from date of Installation			
2.	Desktop Cor	mputer S	System-			
2.	Minim		um Technical Specificati	th Congration/		
	Processo	Intel i	15/ AMD Ryzen-5 (10	ith minimum 3.0		
141	r	equivalent AMD) 6 Core, with minimum 3.0 GHz or higher (Base Frequency), 12 MB				
		GHz o	or higher (Base Freque	iericy// 12 · · ·		
Control of		Cache or higher				
	Chipset	Compatible Intel/ AMD Chipset				
	Motherbo	OEM Motherboard				
	ard	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Operatin	Lea hit proloaded WITH DEIVI				
	g System	recovery partition/Recovery DVD				
	Craphics	biss Integrated Graphics Card		०० (कमगुरुग)		
	Graphics Memory	Toco DDD4 2666 MHz or higher with		02 (कम्प्यूटर)	CONTRACTOR OF THE PARTY	
	(RAM)	minimum 2 DIMM slots Expandable up to 32				
	Storage 1 TB 7200 RPM SATA Drive and/or 512 GB					



	SSD
Optical Drive	DVD R/W
Ports	Minimum 6 USB Ports out of which min 2 USB 3.0 or higher, 1-Display Port VGA, HDMI, audio jack for headphone & mic
Display	Minimum 21.5" inch or higher HD Plus (Resolution 1920x1080) or higher Display, TCO Certified
Antivirus	Preloaded (LatestVersion Internet Security of Trend Micro/Quick Heal/Symantec/ Sophos/ Kaspersky with 3 years subscription
Certificati on	ROHS Compliance, BEE/Energy Star certified FOR SUPPLIED OS
Keyboard & Mouse	OEM USB keyboard & OEM USB Mouse With Mouse Pad
Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet
Office	Open office updated version (freeware)
Accessori es	All necessary cables (Power & data cables), 3Mtr CAT 6 PATCH CORD to be included
Warranty	3 years comprehensive on site OEM warranty from date of installation

3 SCANNER

ı	Parameter	Minimum Technical Specification
	ADF CAPACITY	50 sheets
	SCANNING	Simplex/Duplex
ı	SCANNING	Upto 2400*2400 DPI
ı	RESOLUTIN	
ı	SCAN SPEED	20PPM or heigher
ı	INTERFACE	USB 2.0
ı	SENSOR	Contact Image
ı	SCAN FORMAT	PDF, PDF/A
ı	LIGHT SOURCE	LED
ı	OPERATING	Windows/ MAC
ı	SYSTEM	
ı	SUPPORT	
ı	BUNDLED	Industry Standard interfaces for
ı	SOFTWARE	connecting software e.g. Windows
ı		ISIS/TWAIN and Mac TWAIN drivers
ı	ACCESSORIES	USB CABLES, AC ADAPTOR, POWER
ı	13 17 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	CABLE, SETUP GUIDE DOCUMENTS,
ı		INSTALLATION SOFTWARE(Driver CD)
	Certification	Energy Star, BIS and ISO for OEM
	Warranty	3 years comprehensive on site OEM
		warranty from date of Installation

1 (स्कैनर)

1- उक्त दरों मे जीएसटी नियमानुसार सम्मिलित की जाये ।

Conf

2—बिड में दी गई प्रिन्टर/कम्प्यूटर—डेस्कटोप/स्कैनर की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है। 3—प्रिन्टर/कम्प्यूटर—डेस्कटोप/स्कैनर का मेक अंकित करना होगा।

> निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व पूरा पता (मयसील)

कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर क्रय हेतुनिविदा की शत

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) पात्रता(Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। 1-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 / इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत / इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रस्ट्रिशन प्रमाण पत्र संलग्न करना

2-निविदादाता को बिड प्रतिभूति रूपयें 3200/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा, जो उप निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुनानगढ़ के नाम होना चाहिये।

बिड प्रतिभूति के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3-निविदायें दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा "प्रि-क्वालीफिकेशन बिड / तकनीकी बिड" का होगा तथा दूसरा "वित्तीय बिड" के लिये होगा। उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रिन्टर / कम्प्यूटर - डेस्कटीप / स्कैनर क्रय के

पृथक-पृथक बन्दलिफाफों में प्रिन्टर/कम्प्यूटर-डेस्कटोप/स्कैनर क्रय की तकनीकी निविदा एवं

वित्तिय

निविदाप्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

4— प्रथम लिफाफ़े (प्री क्वालीफिकेशन बिड / तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखें जावेंगे:-

(क) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 / इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्त्तगत / इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रस्ट्रिशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) प्रतिभूति रूपये 3200 / - का बैंकर्स चैक / डी.डी. प्रस्तुत करना है।

(ग) बिड निविदा शुल्क 200 / – का बैंकर्स चैक / डी.डी. / रसीद संलग्न करनी होगी।

(घ) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।

(ड.) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

(च) किसी राजकीय संस्था / विभाग से ब्लेक लिस्टेंड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा। निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि 5- दूसरे लिफाफे में केवल वित्त बिड उप विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय हेतु प्रिन्टर / कम्प्यूटर – डेस्कटोप / स्कैनर क्रय की वित्तीय बिड़ होगी जिसमें निवदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।

6— दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा उप निदेशक, , राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष / मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।



(ब) सामान्य शर्ते :--

1-स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

2—फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज.लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तों एवं नियमों की पालना करनी होगी । फर्म द्वारा उक्त प्रिन्टर / कम्प्यूटर – डेस्कटोप / स्कैनर समय पर आपूर्ती नहीं करने पर 500 / – रू. प्रतिदिन के हिसाब से फर्म द्वारा दिये बिल सें या जमा प्रतिभूति राशि में से क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।

3-समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार

नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।

4—निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ—साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।

5—विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।

6-निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होगे।

- 7—सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ का लिफाफा खोला जावेगा, जिसकी उपापन सिमित जॉच करेगी। जॉच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
- 8—सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के दो दिवस में संविदा के **5 प्रतिशत की कार्य** संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत राशि) जब्त कर दी जावेगी।

9—अनुबंधित फर्म प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर क्रय का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त

कर ली जायेगी।

- 10-प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर के स्टांलेशन सिस्टम **उप** निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग **हनुमानगढ** तथा प्रभारी अधिकारी की देखरेख में निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- 11—उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 16/02/2022 दोपहर बाद 1 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
- 12-सफल निविदादाता द्वारा प्रिन्टर/कम्प्यूटर-डेस्कटोप/स्कैनर की आपूर्ती/अनुबंध करने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
- 13-प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर क्रय अवधि में चालू रहने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- 14—फर्म द्वारा प्रिन्टर / कम्प्यूटर—डेस्कटोप / स्कैनर की दी गई दरों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। कर ना जमा कराने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संवदेक की होगी।
- 15-यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये इंजीनियरों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 16—कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई0एस0आई0 करवाने / सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी

ON

एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 17-यदि अनुबंधित फर्म के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर इंजीनियर न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को अनुबंधित फर्म को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय हनुमानगढ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18-प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर संटालमेंट के समय लगाये जाने वाले इंजीनियरों के आचरण

एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णक्रप से अनुबंधित फर्म जिम्मेदार होगा।

19—किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे अनुबंधित फर्म को मानना होगा।

20-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र हनुमानगढ़ होगा।

21-प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेरकटोप / रकनर आपूर्ती की वारंटी अवधि में प्राप्त शिकायत का इन्द्राज कर

कार्य करायेंगे तथा इसकी मोनेटरिंग इस कार्यालय द्वारा की जायेगी।

- 22-विभाग से प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर वारंटी अवधि में ठीक करने हेतु बाहर ले जाने पर स्टोर से गेटपास लेना होगा।
- 23—अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध को भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी रिथति में संविदा समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ का होगा।

24- उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ को बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताये संविदा / ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25-प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर वारंटी अवधि में तत्काल ठीक करना होगा।

26-अनुबंधित फर्म द्वारा समस्त प्रिन्टर / कम्प्यूटर-डेस्कटोप / स्कैनर आदेश में उल्लेखित तिथि तक आपूती

करना होगा। समयावधि समाप्त होने के पश्चात फर्म द्वारा आपूर्ती करने पर भुगतान में विलम्ब होने एवं भुगतान नहीं होने के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

मैनें / हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं / हम सभी शर्तों को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ / करते है।

निविदादाता के हस	ताक्षर(मयसील)
नाम	***************************************
पूरा पता	
मोबाईल / टेलिफोन	नं



Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

- or threatening to do not indulge in any coercion including impairing or harming (e) the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process; (f)

disclose conflict of interest, if any; and (g)

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country (h) during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties i. in a bidding process if, including but not limited to:

have controlling partners/shareholders in common; or a.

receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or b.

have the same legal representative for purposes of the Bid; or

have a relationship with each other, directly or through common third parties, that C. puts them in a position to have access to information about or influence on the d. Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in e. which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one

the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of Bid; or the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are f. the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract. g

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

	and the same of the	Biddei			
In rela	In relation to my/our Bid submitted to for				
Bids No. Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012, that:					
1.	I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;				
2.	I/we have fulfilled my/our obligation to pay s and the State Government or any local auth Document;	uch of the taxes payable to the Union ority as specified in the Bidding			
3.	I/we are not insolvent, in receivership, bankr my/our affairs administered by a court or a ju business activities suspended and not the su the foregoing reasons;	idicial officer, not have my/our			
4.	I/we do not have, and our directors and office criminal offence related to my/our profession statements or misrepresentations as to my/our procurement contract within a period of three commencement of this procurement process disqualified pursuant to debarment proceeding.	out qualifications to enter into a eyears preceding the s, or not have been otherwise			
5.	I/we do not have a conflict of interest as spe Bidding Document, which materially affects to	cified in the Act, Rules and the fair competition;			
Da	ate :	gnature of bidder			
Pla	ace:	ame:			
	De	esignation :			
	Ad	ldress:			

Orth

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ----The designation and address of the Second Appellate Authority is -----

1. Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for

Conff

second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of Appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

Out

At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the

Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of

critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Orall

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No. of Sefore the (First/Second Appellate Authority)
1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
(i) (ii) (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act b which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
(Supported by an affidavit)
7. Prayer :
Place Date
Appellant's Signature

OH!